



2026:AHC:57972

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक अपील संख्या - 1605/2026

रुद्रभान

.... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : अर्पित पाल, मनीष कुमार त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

1. प्रस्तुत आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए (2) के अंतर्गत, अपीलकर्ता द्वारा, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम), प्रयागराज द्वारा जमानत आवेदन संख्या 48/2026 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 जिसके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है, को निरस्त किए जाने हेतु योजित की गई है। उक्त आदेश मुकदमा अपराध संख्या 461/2025, धारा 87, 137(2), 352 बी.एन.एस. तथा धारा 3(1)(घ) एवं 3(2)(5) एस.सी./एस.टी. अधिनियम, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज से उत्पन्न है।

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन किया गया। नोटिस की तामील के बावजूद प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. संक्षेप में, अभियोजन कथन यह है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनाकर्ता द्वारा इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई है कि उसकी लगभग 18 वर्ष आयु की पुत्री को अपीलकर्ता द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलकर्ता निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। अपीलकर्ता द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया है तथा अभियोजन की संपूर्ण कहानी असत्य एवं मनगढ़ंत है। कथित घटना दिनांक 10.12.2025 की बताई गई है, जबकि आक्षेपित एफ.आई.आर. दिनांक 12.12.2025 को, अर्थात् लगभग दो दिन के विलम्ब से, दर्ज की गई है, जिसके संबंध में कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आगे यह भी निवेदन किया गया कि पीड़िता के पिता तथा स्वयं पीड़िता द्वारा किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य चिकित्सीय परीक्षण से इंकार किया गया है। बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़ित के बयान के अनुसार, पीड़ित बालिग है और उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है; ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ित का अपीलकर्ता के साथ प्रेम-संबंध है और वे आपस में विवाह करना चाहते हैं। उसके कथनों में भौतिक विरोधाभास भी विद्यमान हैं, जिससे यह परिलक्षित होता है कि पीड़िता सहमति से साथ गई थी। आगे यह भी निवेदन किया गया कि विचारण के शीघ्र निष्पादन की कोई संभावना नहीं है, अतः अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित होगा। अपीलकर्ता दिनांक 11.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया गया कि आक्षेपित आदेश विधि विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है, जिसके कारण इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अपेक्षित है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने अपीलकर्ता की जमानत प्रार्थना का जोरदार विरोध किया।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख, जिसमें आक्षेपित आदेश भी सम्मिलित है, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया।

7. प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, वर्तमान अपीलकर्ता को आरोपित भूमिका तथा चोटों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का विचार है कि अपीलकर्ता जमानत पर रिहा किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने में त्रुटि की गई है। आक्षेपित आदेश विधि विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे निरस्त किया जाना आवश्यक है तथा अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।



8. तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है तथा अपीलकर्ता की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने संबंधी आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है।

9. अतः अपीलकर्ता **रुद्रभान**, उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त, को एक निजी मुचलका एवं समान राशि के दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन हों, निम्नलिखित शर्तों के अधीन **जमानत पर रिहा किया जाए**। रिहाई आदेश निर्गत करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा—

- (i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) अपीलकर्ता अभियोजन साक्षियों को प्रभावित अथवा भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) अपीलकर्ता प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से विधिवत छूट न प्रदान की जाए।
- (iv) अपीलकर्ता उसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं करेगा, जिसके लिए वह आरोपित है अथवा जिसके संबंध में उस पर संदेह है।
- (v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या आश्वासन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव)

20 मार्च, 2026

अजीत